

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि० 10.06.2025 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आर०के० मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड (वी०सी० के माध्यम से)
2. श्री आर०के० मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उत्तराखण्ड। (वी०सी० के माध्यम से)
3. डॉ० विवेक पाण्डेय, अपर प्रमुख वन संरक्षक, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. डॉ० विवेक पाण्डेय, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
5. सुश्री कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन। (वी०सी० के माध्यम से)
6. श्री शिव विभूति रंजन, उप-सचिव, प्रतिनिधि अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री के० के० डिमरी, उप-राजस्व अधिकारी, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, प्रतिनिधि-अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
8. सुश्री विमला धपवल, अनुसचिव, प्रतिनिधि-अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
10. श्री महेन्द्र कुंवर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (HARC), देहरादून।
11. डॉ० समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय से सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि गत वर्ष में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाये जाने का प्रयास किया गया जिस कारण पहली बार हम दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को संचालन समिति की अनुमोदन प्राप्त कर अगले ही दिन, दिनांक 01 जनवरी, 2025 को भारत सरकार को वर्ष 2025-26 का ए०पी०ओ० भेजने में सफल हुए हैं। इसमें प्रथम चरण की अनुमति भी भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है व शासन स्तर से स्वीकृति के सापेक्ष शीघ्र ही बजट अवमुक्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय के संबोधन के उपरांत बैठक विधिवत आरंभ की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.1: वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, शासन से अवमुक्त बजट व उसके सापेक्ष आवंटन व व्यय की प्रगति:

14.1.1 प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी समिति की संरचना से परिचित कराते हुए बैठक के मुख्य एजेन्डा बिन्दुओं को समिति के समक्ष रखा गया। इसके साथ ही गत तीन वर्षों में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाओं के सापेक्ष वित्तीय प्रगति से समिति को अवगत कराया गया।

Budget details for the period from 2022-23 to 2024-25 (Amount in crore)					
Year	APO	Fund received from State Govt.	Fund released to Implementing Agencies	Total Expenditure	% of exps. Against released to IAs
1	2	3	4	5	6
2022-23	320.15	303.23	257.43	226.01	88%
2023-24	383.82	347.95	312.39	237.01	76%
2024-25	369.25	340.65	327.54	302.87	92%

14.1.2 समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रु० 408.00 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में कुल रु० 335.37 एवं वर्ष 2023-24 की अवशेष देयता हेतु रु० 24.66 करोड़ व रु० 9.22 करोड़ सहित कुल रु० 369.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि, क्रियान्वयन इकाईयों को आवंटित धनराशि एवं व्यय की प्रगति का विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

धनराशि (करोड़ रु० में)

विवरण	अनिवार्य गतिविधियां				NPV	अर्जित ब्याज	योग
	सी०ए०	अन्य	कैट प्लान	IWLMP			
संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ए०पी०ओ०	50.12	21.89	29.57	10.00	255.68	40.74	408.00
राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए०पी०ओ०	50.12	21.89	29.57	10.00	207.58	16.21	335.37
वर्ष 2023-24 के स्वीकृत ए०पी०ओ० के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति	3.40	1.17	13.88	0.05	15.18	0.20	33.88
वर्ष 2024-25 की कुल स्वीकृति	53.52	23.06	43.45	10.05	222.76	16.41	369.25
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	53.52	18.00	43.45	10.00	200.00	15.68	340.65
कैम्पा द्वारा प्रभागों को आवंटित धनराशि	53.03	10.41	43.45	10.00	200.00	10.65	327.54
दिनांक 31.03.2025 को व्यय	48.34	9.06	37.01	9.88	188.75	9.83	302.87

14.1.3 वर्ष 2024-25 के ए0पी0ओ0 के अंतर्गत प्राप्त बजट व व्यय के विवरण के उपरांत प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2024-25 की मुख्य उपलब्धियों का विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:

❖ क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत कुल ₹0 48.34 करोड़ का व्यय कर 1518 हे0 वृक्षारोपण व 14224 हे0 पूर्व के वर्षों में रोपित क्षेत्रों का अनुरक्षण किया गया। इसके साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अब तक हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष किये जाने वाले वृक्षारोपण के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्षवार पूर्ण किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित रोपण लक्ष्यों के पूर्ण होने के उपरांत लगभग 1972.24 हे0 का लक्ष्य शेष रहेगा। ये लक्ष्य dynamic प्रकृति के हैं जिनमें वन भूमि हस्तांतरण की नई स्वीकृति के सापेक्ष परिवर्तन होता रहता है। कैम्पा के मुख्य कार्य क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन अभिकरणों को निरंतर निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

❖ क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त एन0पी0वी0 के अंतर्गत भी वृक्षारोपण एवं ए0एन0आर0 गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं जिनका तीन वर्षों का विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:

वर्ष	क्षतिपूरक वनीकरण (हे०)	अन्य वृक्षारोपण —NPV (हे०)	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (हे०)	योग
2022-23	2448.71	1738.55	2560.30	6747.56
2023-24	1697.24	3035.25	1735.00	6467.49
2024-25	1518.20	1850.00	1237.50	4605.70
कुल योग	5664.15	6623.8	5532.8	17820.75

❖ कैट प्लान के अंतर्गत ₹0 37.01 करोड़ के व्यय के साथ कुल 13 कैट प्लान का क्रियान्वयन किया गया। इनमें से 06 कैट प्लान वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन के अंतिम वर्ष में थे। संपन्न कराई गई गतिविधियों में 1185 हे0 वृक्षारोपण, 8958 संख्या मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चेक-डैम, चाल-खाल, चरी, जल संग्रहण टैंक आदि का निर्माण व ग्रामीणों की आयवर्धन के उद्देश्य से मुर्गी पालन, मौन पालन, भेड़-बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी हैचरी यूनिट, पौधशाला, प्रशिक्षण तथा ग्रामीणों व पालतु पशुओं हेतु हेल्थ कैम्प का आयोजन आदि सम्मिलित हैं।

❖ मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत 245 जल धाराओं का 03 वर्षीय DTR के आधार पर उपचार कार्य जिसके तहत 169 तालाब, 633 हे0 कंटूर ट्रेन्च, 2816 चाल-खाल, 5805 चेकडैम, 376276 संख्या परकोलेशन पिट व 43 जलस्रोतों/नौलों का पुनरोद्धार करते हुए 18.50 करोड़ लीटर जल संग्रहण व

रीचार्ज क्षमता विकसित हुई। गत तीन वर्षों में मृदा एवं जल संरक्षण की प्रगति निम्नानुसार प्रस्तुत की गई:-

कार्य	2022.23	2023.24	2024.25
जल निकायों का सृजन (संख्या)	559	83	169
जल स्रोतों का पुनरोद्धार (संख्या)	226	06	43
कंटूर ट्रेंच (है०)	1960	1256	633
चाल-खाल (संख्या)	3200	1692	2816
चेकडैम (संख्या)	1900	5282	5805
परकोलेशन पिट्स (संख्या)	306	116	1166
कुल विकसित वर्षा जल संग्रहण क्षमता (करोड़ लीटर)	14.30	15.24	18.52

- ❖ वनाग्नि नियंत्रण एवं सुरक्षा के दृष्टिगत रू० 10.69 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई जिसका उपयोग प्रभागों द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु किया गया।
- ❖ रेंज स्तर तक के भवनों के निर्माण के तहत 03 रेंज कार्यालय, 06 इंटीग्रेटेड चौकी, 07 वन दरोगा चौकी व 37 वन रक्षक चौकी सहित कुल 53 भवनों का निर्माण किया गया।
- ❖ फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन (FLR) के तहत 34 वन प्रभागों में लैंडस्केप का चयन कर 50000 हे० से अधिक वन क्षेत्र में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के सुधार व मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत 10 वर्षीय प्रस्तावों के आधार पर द्वितीय वर्ष की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया।
- ❖ रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट (RDF) के तहत 15 वन प्रभागों में 23262 हे० से अधिक वन क्षेत्रों में वनों के प्राकृतिक स्वरूप की बहाली हेतु 08 वर्षीय प्रस्तावों के आधार पर प्रथम वर्ष की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया।
- ❖ बुग्यालों का संरक्षण के तहत 09 वन प्रभागों में अवस्थित 68 बुग्यालों में कॉयर/जियो-जूट नेट की सहायता से संरक्षण कार्य किया गया।
- ❖ हरेला पर्व के अंतर्गत कुल 1,67,509 फलदार, चारा आदि प्रजातियों की पौध सामुदायिक कार्यक्रमों व अभियानों के तहत रोपित व आगामी वर्षों हेतु कुल 6,96,565 नई पौध पौधशालाओं में तैयार की गई।
- ❖ वन मार्गों के वार्षिक रखरखाव गतिविधि के तहत 1293 कि०मी० वन मार्गों का रखरखाव कार्य किया गया।
- ❖ कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में व्यय की गई कुल 302.87 करोड़ की धनराशि के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीणों हेतु कुल 54.20 लाख मानव दिवसों के

समतुल्य रोजगार का सृजन हुआ। समिति के समक्ष गत तीन वर्षों में सृजित रोजगार का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:-

2022-23	2023-24	2024-25
41.76 लाख	43.66 लाख	54.20 लाख

समिति वर्ष 2024-25 की प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.2: वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति के संबंध में समिति को अवगत कराया जाना।

14.2.1 समिति को अवगत कराया गया कि समिति की 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में वर्ष 2025-26 हेतु अंतिमीकृत वार्षिक कार्ययोजना को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 31.12.2024 को आयोजित संचालन समिति की दशम् बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। संचालन समिति द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु कुल ₹0 439.50 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2025 को ही भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। प्रथम चरण में दिनांक 23 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय कैम्पा कार्यकारिणी की 34वीं बैठक में अनिवार्य गतिविधियों तथा वृक्षारोपण संबंधी कार्य हेतु ₹0 235.30 करोड़ का ए0पी0ओ0 स्वीकृत किया, जिसका स्वीकृति पत्र 14 मई, 2025 को जारी किया गया है।

भारत सरकार की स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.05.2025 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त का निम्न विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:-

धनराशि (करोड़ ₹0 में)

विवरण	अनिवार्य गतिविधियां				NPV	अर्जित ब्याज	योग
	सी0ए0	अन्य	कैट प्लान	IWLMP			
संचालन समिति द्वारा अनुमोदित ए0पी0ओ0	72.00	20.00	55.00	10.00	262.50	20.00	439.50
राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत ए0पी0ओ0	72.00	20.00	55.00	10.00	73.80	4.50	235.30
धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव।	60.00	20.00	35.00	10.00	73.80	4.50	203.30
शेष धनराशि जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होनी शेष है।	-	-	-	-	188.70	15.50	204.20

समिति को अवगत कराया गया कि शासन को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त होने की अपेक्षा है। प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा शेष गतिविधियों की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय कैम्पा कार्यकारी समिति की आगामी बैठकों में विचार किया जायेगा। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.3: ऑडिट एवं लेखा की अद्यतन स्थिति।

14.3.1 ऑडिट एवं लेखा की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को बताया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण कार्य महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2022-23 की Separate Audit Report (SAR) and Management Letter प्राप्त हो चुके हैं। समिति के अवलोकनार्थ उक्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये। वित्तीय वर्ष 2023-24 की Separate Audit Report (SAR) प्राप्त होनी शेष है। समिति उक्त से अवगत हुई।

14.3.2 मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में दाखिल आई0ए0 संख्या – 285881/2024 285829/2024 तथा 285830/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराते हुए प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निम्न विवरण प्रस्तुत किया गया:—

- ❖ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2025 को कैम्पा की कार्य प्रणाली के संबंध में CAG उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की अवधि में कराये गये कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की ओर से दिनांक 18.03.2025 तक शपथ पत्र दाखिल किये जाने का आदेश दिया गया था।
- ❖ CAG की रिपोर्ट में हरेला, भवनों के रखरखाव, लैपटॉप, स्टेशनरी एवं उपकरण क्रय आदि मदों को अस्वीकार्य श्रेणी में रखा गया था तथा राज्य सरकार द्वारा कैम्पा फण्ड पर ब्याज की देयता के संबंध में टिप्पणी की गई थी।
- ❖ मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के स्तर से विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया।
- ❖ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गई सुनवाई में निम्न आदेश पारित किये गये:—

☐ In view of the averment made in the affidavit, we do not propose to proceed any further.

- ☐ We find that the deviations, if any, are trivial in nature, however, the State would ensure hereinafter that no deviations are made.
- ☐ The State would also ensure that the interest is deposited regularly at an approximate rate which can be subsequently adjusted as and when the central government notifies the rate of interest.
- ☐ In view of the matter, the proceedings, insofar as the mis-utilization of the CAMPA fund is concerned, stand closed/disposed of.

समिति द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया तथा उक्त के संबंध में किये गये प्रयासों की सराहना की गई।

14.3.3 समिति के समक्ष CAF Fund में उपलब्ध धनराशि तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का विवरण प्रस्तुत करते हुए समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा CAF Fund पर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का ब्याज भुगतान कर CAF Fund में स्थानान्तरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.35% की ब्याज दर से ₹0 110.96 करोड़ की धनराशि का ब्याज CAF Fund में जमा किया गया है। CAF Fund की दिनांक 31.03.2025 को अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

Year	Fund received from National CAMPA	CAF Fund Balance as on 31st March	Year wise Interest Accrued on CAF Fund	Interest received in CAF Fund
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	2675.09	2675.09	85.83	0.00
2020-21	0.00	2675.09	90.95	0.00
2021-22	0.00	2882.74	89.61	0.00
2022-23	119.00	3019.57	96.57	150.00
2023-24	312.13	3307.27	101.16	212.96
2024-25	235.35	3459.49	110.79	211.95
Total	3341.57		574.91	574.91

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु

14.4.1 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए मुख्य वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2024-25 की कैट प्लान की वार्षिक कार्ययोजना ₹0 43.45 करोड़ के सापेक्ष ₹0 37.01 करोड़ का व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कैट प्लान के अंतर्गत ₹0 55.00 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यासी जल विद्युत परियोजना एवं नैटवाड़-मोरी जल विद्युत परियोजना का समापन होना है। उक्त

कैट प्लानों की अंतिम अवधि समीक्षा कार्य हेतु धनराशि पी0एम0यू0 मद में प्रस्तावित की गयी है।

लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि कैट प्लान हेतु जमा की गयी है। अतः धनराशि से उक्त क्षेत्र में किये जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों हेतु तैयार Restoration Plan के सम्बन्ध में भागीरथी ईको-सेंसिटिव जोन की मॉनीटरिंग कमेटी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। समिति उक्त से अवगत हुई।

14.4.1 गैर सरकारी संगठन HARC के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र कुंवर द्वारा सुझाया गया कि हरेला पर्व को मनाये जाने तथा इसमें पौध वितरण आदि गतिविधियों को अधिक उत्तरदायी बनाये जाने की आवश्यकता है। अभी इसे उत्सव की तरह अधिक मनाया जाता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा हरेला पर्व की पृष्ठभूमि में इसमें निहित भावनात्मक पक्ष को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें बताया गया कि हरेला मूल रूप से सामाजिक पर्व है व यह प्रकृति से यहां के निवासियों के जुड़ाव को दर्शाता है। इस दौरान हरेला कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से मूल रूप से जन-जागरूकता को बढ़ाने का कार्य किया जाना है, जिसमें मौके पर पौधरोपण, पौधों का निशुल्क वितरण, वाद-विवाद, चित्रकला-पोस्टर कंपीटीशन, रैली, आदि गतिविधियां विभिन्न स्थानों पर की जाती हैं। प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 03 वर्षों में हरेला के अन्तर्गत कुल 10,45,833 पौध रोपित/वितरित किये गये हैं।

बैठक के समापन से पूर्व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया व समिति को अवगत कराया गया कि गत वर्ष उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से विशेष प्रयासों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में निरंतर VC आयोजित कर प्रस्तावों तथा प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें परिणामस्वरूप अधिक से अधिक बजट का उपयोग होना संभव हुआ है। आगामी वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना को समयबद्ध रूप से संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को पूरे देश में सबसे पहले प्रेषित करने में भी हम सफल हुए हैं। उनके द्वारा आगे भी इसी प्रकार से प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गई।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

अनुमोदित



(डॉ० धनन्जय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड
एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति,

 उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)
 UTTARAKHAND COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT & PLANNING AUTHORITY (UK CAMPA)
 (प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
 (Notified by Govt. of India under the section 10(1) of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016)
 85-राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001: दूरभाष / फैक्स : 0135-2744077

85-Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001 Tele/Fax: 0135-2744077 Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, Website :www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 186 / 14th EC Minutes/2025-26

दिनांक 17 जून, 2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण / वित्त / नियोजन / ग्राम्य विकास / कृषि / राजस्व / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
7. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ, देहरादून।
8. श्री महेन्द्र कुंवर, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (HARC), देहरादून।
9. सामाजिक संस्था 'उज्जवला', मालिनी मार्केट, कोटद्वार।

(डॉ० समीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 एवं सदस्य सचिव-कार्यकारी समिति,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 186/14th EC Minutes तददिनांकित

प्रतिलिपि: प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
 उत्तराखण्ड कैम्पा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक

/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

एवं सदस्य सचिव-कार्यकारी समिति,

उत्तराखण्ड कैम्पा

**प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.
2025 को उत्तराखण्ड कैम्पा की 14वीं कार्यकारी समिति की बैठक की उपस्थिति**

क्र०सं०	सदस्य	उपस्थित सदस्य/प्रतिनिधि का नाम	हस्ताक्षर
1	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।	by v.c. link	on line
2	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें) एवं सदस्य- कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड	श्रीमती सुजाता प्रधान	
3	अपर प्रमुख वन संरक्षक, शोध, तकनीकी एवं प्रबंधन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।	Dr. Vivek Tandel	/
4	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	Dr. Vivek Tandel	/
5	अपर सचिव- वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	by V.C.Link	on line
6	अपर सचिव- वित्त, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
7	अपर सचिव- नियोजन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	शिव विभूति रेणु उपसचिव नियोजन	
8	अपर सचिव- ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
9	अपर सचिव- राजस्व, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	K.K. Dimri Dy.R.C. BOR.	
10	अपर सचिव- कृषि, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
11	अपर सचिव- जनजाति विकास, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
12	अपर सचिव- पंचायती राज, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा	विमला धुपवाल महोदय	
13	अपर सचिव- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
14	वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा		
15	श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा		
16	प्रतिनिधि-हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा	HARC.	
17	प्रतिनिधि-उज्जवला, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा		
18	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।		
19	श्रीमती अमिता विश्वास, जिला पंचायत सदस्य, उधमसिंह नगर एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा		
20	श्रीमती हरविंदर कौर, जिला पंचायत सदस्य, उधमसिंह नगर एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा		
विशेष आमंत्रित			
1	हेमन्त कुमार गंगवाल	विनायक प्रसाद, वन विभाग	
2			
3			
4			